



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112025-267340
CG-DL-E-03112025-267340

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319]
No. 319]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 30, 2025/ कार्तिक 8, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2025/ KARTIKA 8, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2025
सं. 31 /2025-26

विषय: भारत-यूएई सीईपीए के तहत सोने के लिए टीआरक्यू के आवंटन की प्रक्रिया में संशोधन के संबंध में।

क्रा.सं.01/89/180/01/एएम-22/पीसी-2[बी]/भाग-I/ई-35248.—समय-समय पर संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 2.04 के साथ पठित पैराग्राफ 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सार्वजनिक सूचना संख्या 12/2023 दिनांक 28.04.2023 के संशोधन में, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा भारत-यूएई सीईपीए (सीईपीए) के तहत टीआरक्यू के प्रशुल्क शीर्ष 7108 के तहत मदों के आयात के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने वाले परिशिष्ट-2क के अनुलग्नक-IV में निम्नानुसार संशोधन करते हैं:

2. परिशिष्ट-2क के अनुलग्नक-IV के अंतर्गत शर्त (छ) को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:

क्र. सं.	पूर्व प्रावधान	संशोधित प्रावधान
छ	टीआरक्यू के अंतर्गत गोल्ड डोरे के आयात पर विचार नहीं किया जाएगा।	<ol style="list-style-type: none"> 1. पात्र आवेदक को हॉलमार्किंग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) के साथ पंजीकृत होना चाहिए। 2. पात्र आवेदक को जीएसटी के साथ पंजीकृत होना चाहिए। 3. टीआरक्यू के तहत सोने के डोरे के आयात पर विचार नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, सीईपीए के तहत सोने के लिए टीआरक्यू का आवंटन प्रतिस्पर्धी बोली/निविदा प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।

4. इस सार्वजनिक सूचना के साथ पठित परिशिष्ट-2क के अनुलग्नक-IV के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क शीर्ष 7108 हेतु भारत-यूएई सीईपीए के अंतर्गत टीआरक्यू के लिए पात्र आवेदक, अनुमत अवधि के दौरान डीजीएफटी वेबसाइट (<https://dgft.gov.in>) -> आयात प्रबंधन प्रणाली-> प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के माध्यम से अपने आवेदन ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं।

5. इसके अतिरिक्त, टीआरक्यू आवेदन जमा करने की अनुमत अवधि और प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बोली/निविदा प्रक्रिया में भागीदारी के तौर-तरीकों को हर वर्ष एक व्यापार सूचना के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

भारत-यूएई सीईपीए के टीआरक्यू ढांचे के अंतर्गत एचएस कोड 7108 के अंतर्गत सोने के आयात के लिए बीआइएस हॉलमार्किंग पंजीकरण और जीएसटी पंजीकरण अपेक्षा को शामिल करने हेतु परिशिष्ट 2क के अनुलग्नक-IV के अंतर्गत शर्त (छ) में संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त, टीआरक्यू आवंटन में अधिक पारदर्शिता और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, भारत-यूएई सीईपीए के अंतर्गत सोने के लिए टीआरक्यू का आवंटन एक प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बोली/निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

अजय भादू, अपर सचिव एवं महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 29th October, 2025

No. 31/2025-26

Subject: Amendments to the Procedure for Allocation of TRQ for Gold under the India-UAE CEPA – regarding.

F.No. 01/89/180/01/AM-22/PC-2[B]/Part-I/E-35248.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 read with 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, and in

revision of Public Notice no. 12/2023 dated 28.04.2023, the Director General of Foreign Trade hereby amends the Annexure-IV of Appendix-2A laying down the procedure for import of items under tariff head 7108 of TRQ under India - UAE CEPA (CEPA), as under:

2. Condition (g) under Annexure-IV of Appendix-2A shall be amended as under:

S.no.	Earlier Provision	Revised Provision
g	Import of Gold Dore under TRQ shall not be considered.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The eligible applicant must be registered with the Bureau of Indian Standards (BIS) for hallmarking. 2. The eligible applicant must be registered with GST. 3. Import of Gold Dore under TRQ shall not be considered.

3. Further, the allocations of TRQ for Gold under CEPA will be undertaken based on the competitive bidding/tender process.

4. Eligible Applicants for TRQ under India-UAE CEPA for the tariff head 7108 for FY 2025-26, as per Annexure-IV of Appendix – 2A, read along with this Public Notice, may file their applications online, during the permissible period, through the DGFT website (<https://dgft.gov.in>) --> Import Management System --> Tariff Rate Quota (TRQ).

5. Further, the time period permissible for submission of TRQ applications and the modalities for participation in the Competitive online bidding/tender process will be notified through a Trade Notice every year.

Effect of this Public Notice:

Condition (g) under Annexure-IV of Appendix 2A has been amended to include the requirement of BIS Hallmarking registration and GST registration for the import of gold under HS Code 7108 within the TRQ framework of the India–UAE CEPA. Furthermore, to ensure greater transparency and effective management of TRQ allocations, the allocation of TRQ for gold under the India–UAE CEPA shall be undertaken through a competitive online bidding/tender process.

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade Ex-officio and Addl. Secy.